कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12.09.2025

विषयः   *थाना कपसेठी पुलिस द्वारा अन्तरजनपदीय नकबजन गिरोह का भंडाफोड़ – दो अभियुक्त गिरफ्तार, ₹1,52,200/- नगद व ₹2.50 लाख मूल्य के जेवरात बरामद*

थाना कपसेठी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरावां में दिनांक 29/30 अगस्त 2025 की रात्रि एक व्यक्ति के मकान में सेंध लगाकर चोरी की घटना घटित हुई थी। वादी द्वारा थाना कपसेठी पर दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 128/2025, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वायड टीम द्वारा किया गया तथा शीघ्र अनावरण हेतु एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जो लगातार सुरागरसी-पतारसी में प्रयासरत थी। विवेचना के दौरान मुखबिर व गोपनीय सूचना के आधार पर आज दिनांक 12.09.2025 को **बाहरी नाला पुलिया** के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया:

1. सुभाष बनवासी पुत्र स्व. जोखन बनवासी, नि. ग्राम भकोड़ा, थाना चौरी, जनपद भदोही

2. श्यामवृज बनवासी पुत्र श्रीनाथ बनवासी, नि. ग्राम बैरी नवादा, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर

अभियुक्तों की कार्यप्रणाली व पहचान:

गिरफ्तार अभियुक्त घुमंतू प्रवृत्ति की जाति से संबंध रखते हैं, जिनका मुख्य पेशा विभिन्न जनपदों में घूम-घूमकर नकबजनी के माध्यम से चोरी करना है। ये अत्यंत पेशेवर हैं और गिरफ्तारी से बचने हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनाते हैं:

- मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करते, जिससे इनकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके।
- मेन रास्तों, हाइवे या निजी वाहनों का प्रयोग नहीं करते, जिससे ये सीसीटीवी निगरानी से बच सकें
- अक्सर रेलवे स्टेशन के आसपास ठहरते हैं और पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन करते हैं, जिससे इनकी गतिविधियाँ सामान्य यात्रियों में छिपी रहती है।
- स्थायी निवास नहीं होता, ये लगातार पता बदलते रहते हैं, जिससे इनकी पहचान व गिरफ्तारी अत्यंत कठिन हो जाती है।
- चोरी के बाद ये माल को रिश्तेदारी या अन्य सुरक्षित स्थानों पर छिपा देते हैं और सामान्य नागरिकों की तरह व्यवहार करते हैं।

बरामदगी का विवरण:

1. नकदीः- ₹1,52,200/-

2. पीली धातु के जेवरातः- 09 ग्राम – टप्स (1 जोड़ी), नाक कील (4 अदद), मंगलसूत्र मय लाकेट (1 अदद)

3. सफेद धातु के जेवरातः- 1334 ग्राम – लच्छा (4 अदद), करधनी (1 अदद), पायल (4 जोड़ी), सिकड़ी (1 अदद), बचकानी बाली (1 जोड़ी), बिछिया (5 जोड़ी), जंजीर (1 अदद), बचकानी चूड़ी (1 जोड़ी)

4. मोबाइलः- 01 वीवो एंड्रॉइड मोबाइल (IMEI अंकित), 01 मोबाइल रसीद (मूल्य ₹12,500/-)

अभियुक्त का बयान:

पूछताछ में अभियुक्त सुभाष बनवासी ने बताया कि उक्त चोरी उसने अपने चार साथियों—गोपी बनवासी, कमलेश बनवासी, सुदामा बनवासी व लालजी उर्फ राजकुमार बनवासी—के साथ मिलकर की थी। ₹50,000/- उसने अपने साथी श्यामवृज को छिपाने हेतु दिया था। चोरी के समय प्रयुक्त रम्मा (सब्बल) मौके पर ही छोड़ दिया गया था।

विवेचना की स्थिति:

अभियुक्तों के तीन साथी—गोपी, कमलेश व सुदामा—को पूर्व में थाना बरसेठी, जनपद जौनपुर द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है चौथे साथी लालजी उर्फ राजकुमार बनवासी की तलाश जारी है। थाना बरसठी जनपद जौनपुर में गिरफ्तार अभियुक्त थाना कपसेठी के मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस में भी वांछित है।

आपराधिक इतिहास:

क्र0सं0	अपराधी	अपराधिक इतिहास	विवरण
1	1. सुभाष बनवासी पुत्र स्व0 जोखन बनवासी निवासी ग्राम भकोडा थाना चौरी जनपद भदोही उम्र 33 वर्ष	1.मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कपसेठी कमि0 वाराणसी 2. मु0अ0सं0 0184/2025 धारा 317(2) थाना बरसठी जिला जौनपुर 3. मु0अ0सं0 0139/2015 धारा 60 एक्स एक्ट थाना बडागांव वाराणसी 4. मु0अ0सं0 0697/2018 धारा 60/63 एक्स एक्ट थाना बडागांव वाराणसी	थाना कपेसठी से गिरफ्तार व जेल भेजे गये।
2	श्याम ब्रिज बनवासी पुत्र श्रीनाथ बनवासी निवासी ग्राम बैरी नेवादा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर उम्र 33 वर्ष	1.मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कपसेठी कमि0 वाराणसी	थाना कपेसठी से गिरफ्तार व जेल भेजे गये।
3.	गोपी बनवासी पुत्र कालीचरन उर्फ बाटे उर्फ ढोढई निवासी ग्राम भकोड़ा थाना चौरी जिला भदोही उम्र 50 वर्ष	1.मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कपसेठी कमि0 वाराणसी 2. मु0अ0सं0 0184/2025 धारा 317(2) थाना बरसठी जिला जौनपुर 3. मु0अ0सं0 219/2016 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जामुराद वाराणसी 4. मु0अ0सं00221/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना मिर्जामुराद वाराणसी 5. मु0अ0सं0 155/2011 धारा 401/41/411/414 भादवि थाना मिर्जामुराद वाराणसी	थाना बससठी द्वारा गिरफ्तार व जेल भेजे गये।
4.	कमलेश बनवासी पुत्र कालीचरन उर्फ बाटे उर्फ ढोढई निवासी ग्राम भकोड़ा थाना चौरी जिला भदोही उम्र करीब 33 वर्ष	1.मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कपसेठी कमि0 वाराणसी 2. मु0अ0सं0 0184/2025 धारा 317(2) थाना बरसठी जिला जौनपुर	थाना बससठी द्वारा गिरफ्तार व जेल भेजे गये।
5.	सुदामा बनवासी पुत्र नखडू बनवासी निवासी चौधरीपुर थाना चौरी भदोही उ0प्र0 उम्र करीब 38 वर्ष	1.मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कपसेठी कमि0 वाराणसी 2. मु0अ0सं0 0184/2025 धारा 317(2) थाना बरसठी जिला जौनपुर	थाना बससठी द्वारा गिरफ्तार व जेल भेजे गये।
6.	लालजी उर्फ राजकुमार बनवासी पुत्र रिखई बनवासी निवासी ग्राम सरबत खाने थाना चौरी भदोही उ0प्र0	1.मु0अ0सं0 128/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कपसेठी कमि0 वाराणसी	मौके से फरार (वांछित)

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों से भई की जा रही है। अन्य संभावित आपराधिक संलिप्तताओं की जानकारी भी एकत्र की जा रही है।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी